उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-39/2015/187/22-4-15-48(59)/11

लखनऊ : दिनांक-10 फरवरी, 2015

शुद्धि- पत्र

जिला कारागार, बहराइच में टाइप- 2 के 16 न आवासों के निर्माण हेतु जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-25/2015/1614/22-4-14-48(59)/11, दिनांक-29.01.2015 में उल्लिखित धनराशि रू0 1,34,37,000/-(रूपया एक करोड़ चौतिंस लाख सैतिंस हजार मात्र) के स्थान पर धनराशि रू0 1,34,27,000/- (रूपया एक करोड़ चौतिंस लाख सत्ताइस हजार मात्र) पढ़ा जाय।

आर0के0द्विवेदी
उप सचिव

संख्या- 39/2015/187(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबंध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, बहराइच।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in